कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।
ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com
फोन नं0–01334–265700

पत्रांकः न–10(2)/सीएफओ–PWL/2021

दिनांकः मार्च 12, 2021।

स्वामी/प्रबन्धक
M/S Government Intermideate College,
Cholosain, P.O-Chaplori, Vill-Chipalghat, ,
Distt-Parui Garhwal

विषयः <u>अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।</u>

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–43871061, दिनांकः 03.03.2021 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 03 माह के लिये इस आधार पर प्रदान किया जा रहा है कि मानचित्र सम्बन्धी सभी औपचारिकता एंव मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर ऑन लाईन Pre-Operational Noc हेतु आवदेन किया जाना आवश्यक होगा।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कर्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
7. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य. अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2497
निस्तारण
प्रा० कार्यवाही हेतु
03-09-2025

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांकः सीएफओ/मैमो/2025 R-12/3744 दिनांकः अगस्त 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी, गढ़वाल

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या/4777–79/(अ0उ0रा0इ0का0)/2025–26 दिनांकः 20 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–1310/XXIV-B-1/2021-02(01)/2020 दिनांकः 08 जनवरी, 2021 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्र संख्या–अर्द्व0शा0पं0सं0/सेवा–2/1983/तीन(च)21/2025–26 दिनांकः 26 जून, 2025 के द्वारा जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में 02–02 अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यालयों की सम्बद्वता सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से होगी, और अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु चयनित जनपद के 30 विद्यालयों को ही सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्वता प्राप्त हुई है जिनकी वर्ष 2025–26 में सी0बी0एस0ई0 सम्बद्वता का नवीनीकरण किया जाना है जिसके लिये प्रत्येक विद्यालय को भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र, अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं स्वच्छ पेयजल का प्रमाण–पत्र सी0बी0एस0ई0 बोर्ड को प्रस्तुत किये जाने हेतु अपने–अपने विभागों से संदर्भित प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत कराना है कि जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थापित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के अन्तर्गत जिन विद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु अग्निशमन विभाग के विभागीय पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित आवेदन में संलग्न दस्तावेजों को चैक लिस्ट के अनुसार चैक करने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

सं०-766/27-AUA/2025 अतः रिपोर्ट सूचनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
पौड़ी,
आ० शासनादेश कार्यवाही
करें,

12.9.
अपर जिलाधिकारी
गढ़वाल

(राजेन्द्र सिंह खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।